न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
उपस्थितिः— श्री संजय कुमार यादव—प्रथम(उ.प्र.न्यायिक सेवा)
मुकदमा नम्बरः—3208 / 2013

संकलिया पत्नी फूलचन्द, निवासी पटवध, थाना— चोपन, सोनभद्र

बनाम

1. गुड्डू पुत्र बबई
2. मुन्ना पुत्र बबई

निवासीगण— पटवध, थाना— चोपन, जनपद— सोनभद्र

धारा—323, 504, 506, 354 भा.दं.सं.,
थाना—चोपन, सोनभद्र

—: निर्णयः—

प्रस्तुत आपराधिक मुकदमा परिवादिनी संकलिया द्वारा अभियुक्तगण गुड्डू व मुन्ना के विरूद्व दाखिल परिवाद पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा— 323, 504, 506, 354 भा.दं.सं. में आहूत किये जाने पर आधारित है।

परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार से है कि घटना दिनांक 01.07.2013 समय 7.00 बजे शाम की है। परिवादिनी अपने घर जा रही थी कि रास्ते में नहर के पास गांव के गुड्डू व मुन्ना दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। गुड्डू परिवादिनी को रास्ते में रोक दिया और परिवादिनी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। परिवादिनी ने मना किया। अश्लील शब्द बोलने लगा और परिवादिनी को जबरन पकड़ कर नहर की तरफ खींचने लगा। परिवादिनी ने विरोध किया तो मादर चोद भोसडी वाले की गालियॉ दिया। इतने पर मुन्ना भी गुड्डू के पास आ गया। दोनों व्यक्ति परिवादिनी का बाल पकड़ कर पटक दिये। परिवादिनी जब गिर गयी तो मादर चोद भोसडी की गालियॉ देते हुए लात घूसा से काफी मारे पीटे। शोर गुल पर श्रीदेवी व लड़का दीप नरायन आये तो दोनों व्यक्ति उनको भी मादरचोद भोसडी की गालियॉ दिये, लात घूसा से मारे पीटे। मौके पर राजाराम, भुनेश्वर ने बीच बचाव किया। सभी अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। परिवादिनी ने घटना की सूचना थाना चोपन में दिया। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तब उसने घटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिया किन्तु वहॉ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा— 200 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षित कराया व धारा— 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सी.डब्लू.—1 के रूप में श्रीदेवी व सी.डब्लू.—2 के रूप में दीप नरायन को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र द्वितीय प्रतिलिपि दिनांकित 05.07.2013 व रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के परिशीलन उपरांत तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा—323, 504, 506, 354 भा.दं.सं.में आहूत किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और अपनी जमानत करायी।

परिवादिनी संकलिया द्वारा धारा— 244 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत स्वयं को पी.डब्लू.—1 के रूप में परीक्षित कराया। तदोपरांत परिवादिनी द्वारा मामले में अन्य किसी साक्षी को धारा— 244 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षित न कराये जाने का कथन किया गया। जिस पर परिवादिनी के साक्ष्य अं.धारा— 244 दं.प्र.सं. के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व दिनांक 28.01.2016 को आरोप अं.धारा– 323, 354, 504, 506 भा.दं.सं. में विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

परिवादिनी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु धारा– 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पी.डब्लू.–1 के रूप में संकलिया व पी.डब्लू.–2 के रूप में श्रीदेवी को परीक्षित कराया। तदोपरांत परिवादिनी अपने समर्थन में किसी अन्य साक्षी को परीक्षित न कराये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अं.धारा– 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने परिवाद कथानक को गलत बताया, साक्षियों द्वारा झूॅठी गवाही देना बताया, सफाई देने से इन्कार किया तथा अतिरिक्त रूप में स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा स्वयं द्वारा कोई अपराध न किये जाने का कथन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बिस्तार पूर्वक बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा अभियुक्तगण पर मुख्यतः यह आरोप लगाया है कि दिनांक 01.07.2013 को समय करीब 7.00 बजे शाम जब वह नहर के पास थी तो अभियुक्तगण उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेडखानी करने लगे। उसने विरोध किया तो उसे पटक दिये और लात घूसा से मार कर चोटें कारित किया।

परिवादिनी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु स्वयं को धारा– 244 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपने बयान अं.धारा– 244 दं.प्र.सं. की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 01.07.2013 समय करीब 7.00 बजे शाम वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में नहर के पास गुड्डू व मुन्ना मिले। दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। गुड्डू उससे छेडखानी करने लगे व जबरजस्ती हाथ पकड़ कर नहर के पास झेकने लगे। उसने विरोध किया तो मादर चोद व भोसडी वाले की गाली दिये। मुन्ना भी आकर मॉ बहन की गाली दिये। दोनों आदमी मिलकर पटक दिये और मारे पीटे। जान से मारने की धमकी भी दिये। शोर गुल पर उसका लड़का दीन दयाल व श्रीदेवी मौके पर आ गये। मुल्जिमान उसके लड़के व श्रीदेवी को भी मादर चोद भोषणी वाले की गालियॉ दिये और मारे पीटे। मौके पर राजाराम, भनुश्वर, रामचन्द बीव बचाव किये। तब अभियुक्तगण भाग गये।

परिवादिनी ने अपने बयान अं.धारा– 244 दं.प्र.सं. में परिवादपत्र के कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण को शराब के नशे में होने, नहर के पास उसके साथ छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर उसे पटक देने व मारने पीटने तथा जब लड़का व श्री देवी बचाने आये तो उसे भी मॉ बहन की भद्दी भद्दी गालियॉ देते हुए मारे पीटे तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देने के तथ्य को साबित किया है।

परिवादिनी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा– 244 दं.प्र.सं. में प्रतिपरीक्षा की गयी है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी उम्र 40 साल है। गुड्डू उसके बुआ के लड़के हैं। फुफेरे भाई लगते हैं। पहले उसके लड़के को मारे थे। जब पूछने गयी तो उसके साथ भी मार पीट किये। रास्ते पर चलने को लेकर विवाद है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादिनी संकलिया से धारा– 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गयी है। परिवादिनी संकलिया ने स्वयं को धारा– 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.072013 समय 7.00 बजे शाम की घटना है। वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में दो व्यक्ति मिले जो अपना मुॅह ढके

थे। दोनों व्यक्ति शराब पिये थे। उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ छेडछाड करने लगे। जब उसने विरोध किया तो मॉ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए लात मुक्का से मारे पीटे एवं धमकी दिये कि इसकी शिकायत कहीं पर करोगी तो जान से मार डालूॅगा। अभियुक्तगण गुड्डू व मुन्ना उसके साथ छेड़खानी नहीं किये थे न तो उसे मारे पीटे थे न ही गाली दिये थे न तो जान से मारने की धमकी दिये थे। लोगों के कहने पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा लिखा दिया था।

इस प्रकार परिवादिनी ने अपने बयान अं.धारा– 246 दं.प्र.सं. में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित न कर अन्य व्यक्ति जो मुॅह ढके हुए थे, के द्वारा की गयी है। उसने लोगों के कहने के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा लिखा दिया था। परिवादिनी ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ छेडछाड नहीं की गयी थी और न ही गालियॉ दी गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार परिवादिनी के बयान अं.धारा– 246 दं.प्र.सं. से अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

परिवादिनी द्वारा धारा– 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पी.डब्लू.–2 के रूप में श्रीदेवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 01.07.2013 समय 7.00 बजे शाम की है। शोर सुनकर वह नहर के पास गयी तो देखी कि गुड्डू संकलिया के साथ छेडछाडी कर रहा था और लात घूसा से मार पीट रहा था। मॉ बहन की भद्दी भद्दी गालियॉ दे रहा था। धमकी दे रहा था कि अगर कही शिकायत करोगी तो जान से मार डालूगा। मौके पर राजाराम व भुनेश्वर मौजूद थे।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–2 ने अपने बयान अं.धारा– 246 दं.प्र.सं. की मुख्य परीक्षा में परिवादपत्र के कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ छेडछाड किये जाने, मारने पीटने, गाली गुप्ता दिये जाने के तथ्य का समर्थन किया है। इस साक्षी से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के समय अंधेरा था। वह ठीक से नहीं देख पायी थी कि संकलिया के साथ किसने छेडछाड किया। अभियुक्तगण छेडछाड नहीं किये थे न तो मारे पीटे थे न ही गाली गुप्ता दिये थे न तो जान से मारने की धमकी दिये थे। अभियुक्तगण से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है।

साक्षी पी.डब्लू.–2 की प्रतिपरीक्षा से अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ छेडछाड किये जाने, मारने पीटने व गाली गुप्ता दिये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं होता है। साक्षी पी.डब्लू.–2 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी थी। इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–2 की प्रतिपरीक्षा से परिवाद पत्र के कथानक का समर्थन नहीं होता है।

परिवादिनी द्वारा धारा– 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पी.डब्लू.–3 के रूप में दीप नरायन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने बयान अं.धारा– 246 दं.प्र.सं. की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 01.07.2013 समय करीब 7.00 बजे की है। ग्रामक पटवध नहर के पास गुड्डू व मुन्ना दोनों शराब के नशे में संकलिया को रास्ते में रोक कर उसके साथ छेडछाड करने लगे। अश्लील शब्दों का प्रयोग किये। संकलिया जबरन पकड़ कर नहर की तरफ खीचने लगे। विरोध करने पर मादर चोद भोसडी वाली की गालियॉ दिये तथा लात मुक्का से मारे पीटे। धमकी दिये कि कहीं शिकायत करोगी तो जान से मार डालेंगे।

साक्षी पी.डब्लू.–3 ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में परिवाद पत्र के कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ छेडछाड किये जाने व मारने पीटने तथा गन्दी गन्दी गालियॉ दिये जाने का कथन किया है। इस साक्षी से

अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था। उसने ठीक से नहीं देखा था कि संकलिया के साथ छेडछाडी कौन कर रहा था। अभियुक्त गुड्डू व मुन्ना संकलिया के साथ छेडछाड नहीं किये थे न तो मारे पीटे थे न ही जान मारने की धमकी दिये थे। लोगों के बताने पर उसने गुड्डू व मुन्ना का नाम बता दिया था।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–3 द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुए नहीं देखा है। उसने लोगों के बताने के आधार पर अभियुक्तगण का नाम लिये जाने का कथन किया है। इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–3 के बयान की प्रतिपरीक्षा से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य साबित नहीं होता है।

मामले में परिवादिनी ने किसी अन्य साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया है और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई अन्य प्रमाणिक साक्ष्य ही उपलब्ध है जिससे कि अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप की पुष्टि हो सके।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि परिवादिनी अभियुक्तगण गुड्डू व मुन्ना के विरूद्व लगाये गये आरोप धारा–323, 504, 506, 354 भा.दं.सं.को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अभियुक्तगण गुड्डू व मुन्ना को आरोप धारा– 323, 504, 506, 354 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनकी जमानतें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 23.02.2016

(संजय कुमार यादव–I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

आज निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 23.02.2016

(संजय कुमार यादव–I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र